



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265798
CG-DL-E-29082025-265798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3872]
No. 3872]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

का.आ. 3977(अ).— भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश संख्या 1485(अ) दिनांक 27 मार्च 2025 और 3000(अ) दिनांक 4 जुलाई 2025, जो कि आई.बी. के तरल पदार्थ (विशेष सुविधाओं के साथ नॉन-ग्लास) के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है को अब से निम्नलिखित जोड़कर पढ़ा जाये:

(1) क्र. संख्या 30, 31 और 32 को तालिका 'बी' में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम	उत्पाद/ब्रांड का नाम
(1)	(2)	(3)
30.	मेसर्स बीएमएल पेरेंटरल ड्रग्स (नीचे नोट ज 2)	यूरो हैड कैप
31.	मेसर्स हिंदुस्तान पॉलीफैब (नीचे नोट ज 3)	यूरो हैड / एलडीपीई बोटल्स
32.	मेसर्स फार्मा इम्प्लेक्स लैबोरेट्रीज प्रा. लि. (नीचे नोट ज 4)	यूरो कैप / हैड बोटल्स

(2) खंड (ज 2), (ज 3) और (ज 4) को खंड (ज 1) के बाद जोड़ा गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“(ज2) तालिका बी की क्रमांक संख्या 30 में उल्लिखित मेसर्स बीएमएल पेरेंटरल ड्रग्स के मामले में, तालिका ए की केवल क्रमांक संख्या 2, 4, 5, 6 और 7 में निर्दिष्ट फॉर्मूलेशन की कीमतें लागू होती हैं।

“(ज3) तालिका बी की क्रमांक संख्या 31 में उल्लिखित मेसर्स हिंदुस्तान पॉलीफैब के मामले में, तालिका ए की केवल क्रमांक संख्या 2, 4, 5 और 7 में निर्दिष्ट फॉर्मूलेशन की कीमतें लागू होती हैं।

“(ज4) तालिका बी की क्रमांक संख्या 32 में उल्लिखित मेसर्स फार्मा इम्प्लेक्स लैबोरेट्रीज प्रा. लि. के मामले में, तालिका ए की केवल क्रमांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 में निर्दिष्ट फॉर्मूलेशन की कीमतें लागू होती हैं।

[पी.एन./268/136/2025/एफ/फा. सं. 8(136)/2025/डी.पी/एनपीपीए-डीवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ADDENDUM

New Delhi, the 29th August, 2025

S.O. 3977(E).— The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1485(E) dated 27th March 2025 and 3000(E) dated 4th July 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of scheduled formulation packs of I.V. fluids (non-Glass with special features) is henceforth to be read with the following additions:

(1) Sl. No. 30, 31 and 32 shall be added in Table 'B' as below:

Sl. No.	Name of Manufacturer	Product/ Brand Name
(1)	(2)	(3)
30.	M/s BML Parenteral Drugs (note h2 below)	Euro Head Cap
31.	M/s Hindustan Polyfab (note h3 below)	Euro Head /LDPE Bottles
32.	M/s Pharma Implex Laboratories Pvt. Ltd. (note h4 below)	Euro Cap/Head Bottles

(2) Clause (h2), (h3) and (h4) are added after clause (h1) & shall be read as follows:

“(h2) In case of M/s BML Parenteral Drugs mentioned in Sl. No. 30 of Table B, only the prices of the formulations specified at Sl. No. 2, 4, 5, 6 and 7 of Table A are applicable”.

“(h3) In case of M/s Hindustan Polyfab mentioned in Sl. No. 31 of Table B, only the prices of the formulations specified at Sl. No. 2, 4, 5, and 7 of Table A are applicable”.

“(h4) In case of M/s Pharma Implex Laboratories Pvt. Ltd. mentioned in Sl. No. 32 of Table B, only the prices of the formulations specified at Sl. No. 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8 of Table A are applicable”.

[PN/268/136/2025/F/F. No. 8(136)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director